रजिस्ट्रेशन सख्या 1523/92-93

नगर निगम पंजीकरण संख्या - 124

आशियाना रेजीडेन्ट्स एसोसिएशन

कैम्प कार्यालय – के–880, आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ

e-mail : aashianaresidents@gmail.com

राजेन्द्र पाण्डेय
अध्यक्ष
मो0 : 9335916286

आर0 के0 भाटिया
महासचिव
मो0 : 9335209338
8840351738

पत्रांक 81/2022-23

दिनांक 02-09-2022

सेवा में,

माननीय राजेश्वर सिंह जी,
विधायक, सरोजनी नगर,
लखनऊ।

विषयः <u>आशियाना कालोनी के आवासों का जिनका पूर्व में गृह कर निर्धारित है, उनका बगैर पुनरीक्षण आदेश एवं शासनादेश विज्ञप्ति हुए मनमाने तरीके से प्राइवेट एजेन्सी से नगर निगम द्वारा गृह कर निर्धारण की कार्यवाही से आशियानावासियों में असन्तोष के सम्बन्ध में।</u>

माननीय,

उक्त विषयक आशियाना कालोनी के निवासी जो वर्ष 1995 से गृह कर नियमित भुगतान कर रहे हैं तथा एसोसिएशन द्वारा नगर निगम के कैम्प आयोजित करा समय–समय पर सहयोग प्रदान किया जाता रहा है।

शासन द्वारा वर्ष 2011 में गृह कर में संशोधन किया गया तथा समस्त निवासियों द्वारा गृह कर का पुनरीक्षण करा गृह कर/जल कर का नियमित भुगतान किया जा रहा है। इस वर्ष नगर निगम ने जिन आवासों का गृह कर निर्धारित नहीं हुआ था उनका एरियल सर्वे कराकर कर निर्धारण का निर्णय लिया था तथा उक्त कार्य को किसी प्राइवेट एजेन्सी द्वारा किया जा रहा था, इस माह आशियाना कालोनी के कुछ आवासों जिनके द्वारा पूर्व से गृह कर/जल कर का भुगतान किया जा रहा उन निवासियों को गृह कर/जल कर पुनरीक्षण का 3 से 5 गुना अधिक के नोटिस वितरित किये जा रहे हैं, न उनके टैक्स की गणना का कोई आधार है न ही किसी शासनादेश का उल्लेख है।

जैसा आप विदित है कि आशियाना कालोनी में सीनियर सिटीजन अधिक हैं उनको इस प्रकार के टैक्स के नोटिस प्राप्त होने से मानसिक आधात लग रहा है तथा इस प्रकार की मनमर्जी/शासन की नीति के विरूद्ध कार्यवाही से आक्रोस भी हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की कार्यवाही पर अपने स्तर से कार्यवाही कर रोक लगवाने की कृपा करें तथा शासन की नीति आने पर भविष्य में गृह कर/जल कर के पुनरीक्षण होने पर ही ऐसी कार्यवाही हो सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

आदर सहित।

भवदीय,

(आर0के0 भाटिया)
महासचिव

रजिस्ट्रेशन सख्या 1523/92-93

नगर निगम पंजीकरण संख्या - 124

आशियाना रेजीडेन्ट्स एसोसिएशन

कैम्प कार्यालय – के–880, आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ

e-mail : aashianaresidents@gmail.com

राजेन्द्र पाण्डेय
अध्यक्ष
मो0 : 9335916286

आर0 के0 भाटिया
महासचिव
मो0 : 9335209338
8840351738

पत्रांक 80/2022-23

दिनांक 02-09-2022

सेवा में,

माननीया संयुक्ता भाटिया जी,
महापौर,
लखनऊ नगर निगम,
लखनऊ।

विषयः **आशियाना कालोनी के आवासों का जिनका पूर्व में गृह कर निर्धारित है, उनका बगैर पुनरीक्षण आदेश एवं शासनादेश विज्ञप्ति हुए मनमाने तरीके से प्राइवेट एजेन्सी से नगर निगम द्वारा गृह कर निर्धारण की कार्यवाही से आशियानावासियों में असन्तोष के सम्बन्ध में।**

माननीया,

उक्त विषयक आशियाना कालोनी के निवासी जो वर्ष 1995 से गृह कर नियमित भुगतान कर रहे हैं तथा एसोसिएशन द्वारा नगर निगम के कैम्प आयोजित करा समय–समय पर सहयोग प्रदान किया जाता रहा है।

शासन द्वारा वर्ष 2011 में गृह कर में संशोधन किया गया तथा समस्त निवासियों द्वारा गृह कर का पुनरीक्षण करा गृह कर/जल कर का नियमित भुगतान किया जा रहा है। इस वर्ष नगर निगम ने जिन आवासों का गृह कर निर्धारित नहीं हुआ था उनका एरियल सर्वे कराकर कर निर्धारण का निर्णय लिया था तथा उक्त कार्य को किसी प्राइवेट एजेन्सी द्वारा किया जा रहा था, इस माह आशियाना कालोनी के कुछ आवासों जिनके द्वारा पूर्व से गृह कर/जल कर का भुगतान किया जा रहा उन निवासियों को गृह कर/जल कर पुनरीक्षण का 3 से 5 गुना अधिक के नोटिस वितरित किये जा रहे हैं, न उनके टैक्स की गणना का कोई आधार है न ही किसी शासनादेश का उल्लेख है।

जैसा आप विदित है कि आशियाना कालोनी में सीनियर सिटीजन अधिक हैं उनको इस प्रकार के टैक्स के नोटिस प्राप्त होने से मानसिक आधात लग रहा है तथा इस प्रकार की मनमर्जी/शासन की नीति के विरूद्ध कार्यवाही से आक्रोस भी हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की कार्यवाही पर अपने स्तर से कार्यवाही कर रोक लगवाने की कृपा करें तथा शासन की नीति आने पर भविष्य में गृह कर/जल कर के पुनरीक्षण होने पर ही ऐसी कार्यवाही हो सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

आदर सहित।

भवदीय,

(आर0के0 भाटिया)
महासचिव

रजिस्ट्रेशन संख्या 1523/92-93

नगर निगम पंजीकरण संख्या - 124

आशियाना रेजीडेन्ट्स एसोसिएशन

कैम्प कार्यालय – के–880, आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ

e-mail : aashianaresidents@gmail.com

राजेन्द्र पाण्डेय
अध्यक्ष
मो0 : 9335916286

आर0 के0 भाटिया
महासचिव
मो0 : 9335209338
8840351738

पत्रांक....02/2022-23

दिनांक..../09/2022

सेवा में,

श्रीमान् नगर आयुक्त महोदय,
लखनऊ नगर निगम,
लखनऊ।

विषयः <u>आशियाना कालोनी के आवासों का जिनका पूर्व में गृह कर निर्धारित है, उनका बगैर पुनरीक्षण आदेश एवं शासनादेश विज्ञप्ति हुए मनमाने तरीके से प्राइवेट एजेन्सी से नगर निगम द्वारा गृह कर निर्धारण की कार्यवाही से आशियानावासियों में असन्तोष के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उक्त विषयक आशियाना कालोनी के निवासी जो वर्ष 1995 से गृह कर नियमित भुगतान कर रहे हैं तथा एसोसिएशन द्वारा नगर निगम के कैम्प आयोजित करा समय–समय पर सहयोग प्रदान किया जाता रहा है।

शासन द्वारा वर्ष 2011 में गृह कर में संशोधन किया गया तथा समस्त निवासियों द्वारा गृह कर का पुनरीक्षण करा गृह कर/जल कर का नियमित भुगतान किया जा रहा है। इस वर्ष नगर निगम ने जिन आवासों का गृह कर निर्धारित नहीं हुआ था उनका एरियल सर्वे कराकर कर निर्धारण का निर्णय लिया था तथा उक्त कार्य को किसी प्राइवेट एजेन्सी द्वारा किया जा रहा था, इस माह आशियाना कालोनी के कुछ आवासों जिनके द्वारा पूर्व से गृह कर/जल कर का भुगतान किया जा रहा उन निवासियों को गृह कर/जल कर पुनरीक्षण का 3 से 5 गुना अधिक के नोटिस वितरित किये जा रहे हैं, न उनके टैक्स की गणना का कोई आधार है न ही किसी शासनादेश का उल्लेख है।

जैसा आप विदित है कि आशियाना कालोनी में सीनियर सिटीजन अधिक हैं उनको इस प्रकार के टैक्स के नोटिस प्राप्त होने से मानसिक आघात लग रहा है तथा इस प्रकार की मनमर्जी/शासन की नीति के विरूद्ध कार्यवाही से आक्रोस भी हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की कार्यवाही पर अपने स्तर से कार्यवाही कर रोक लगवाने की कृपा करें तथा शासन की नीति आने पर भविष्य में गृह कर/जल कर के पुनरीक्षण होने पर ही ऐसी कार्यवाही हो सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

आदर सहित।

भवदीय

(आर0के0 भाटिया)
महासचिव

रजिस्ट्रेशन सख्या 1523/92-93 नगर निगम पंजीकरण संख्या - 124

आशियाना रेजीडेन्ट्स एसोसिएशन

कैम्प कार्यालय – के–880, आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ

e-mail : aashianaresidents@gmail.com

राजेन्द्र पाण्डेय
अध्यक्ष
मो0 : 9335916286

आर0 के0 भाटिया
महासचिव
मो0 : 9335209338
8840351738

पत्रांक 83/2022-23

दिनांक /09/2022

सेवा में,

श्रीमान् जोनल अधिकारी महोदय,
जोन – 8, लखनऊ नगर निगम,
लखनऊ।

विषयः <u>आशियाना कालोनी के आवासों का जिनका पूर्व में गृह कर निर्धारित है, उनका बगैर पुनरीक्षण आदेश एवं शासनादेश विज्ञप्ति हुए मनमाने तरीके से प्राइवेट एजेन्सी से नगर निगम द्वारा गृह कर निर्धारण की कार्यवाही से आशियानावासियों में असन्तोष के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उक्त विषयक आशियाना कालोनी के निवासी जो वर्ष 1995 से गृह कर नियमित भुगतान कर रहे हैं तथा एसोसिएशन द्वारा नगर निगम के कैम्प आयोजित करा समय–समय पर सहयोग प्रदान किया जाता रहा है।

शासन द्वारा वर्ष 2011 में गृह कर में संशोधन किया गया तथा समस्त निवासियों द्वारा गृह कर का पुनरीक्षण करा गृह कर/जल कर का नियमित भुगतान किया जा रहा है। इस वर्ष नगर निगम ने जिन आवासों का गृह कर निर्धारित नहीं हुआ था उनका एरियल सर्वे कराकर कर निर्धारण का निर्णय लिया था तथा उक्त कार्य को किसी प्राइवेट एजेन्सी द्वारा किया जा रहा था, इस माह आशियाना कालोनी के कुछ आवासों जिनके द्वारा पूर्व से गृह कर/जल कर का भुगतान किया जा रहा उन निवासियों को गृह कर/जल कर पुनरीक्षण का 3 से 5 गुना अधिक के नोटिस वितरित किये जा रहे हैं, न उनके टैक्स की गणना का कोई आधार है न ही किसी शासनादेश का उल्लेख है।

जैसा आप विदित है कि आशियाना कालोनी में सीनियर सिटीजन अधिक हैं उनको इस प्रकार के टैक्स के नोटिस प्राप्त होने से मानसिक आधात लग रहा है तथा इस प्रकार की मनमर्जी/शासन की नीति के विरूद्ध कार्यवाही से आक्रोस भी हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की कार्यवाही पर अपने स्तर से कार्यवाही कर रोक लगवाने की कृपा करें तथा शासन की नीति आने पर भविष्य में गृह कर/जल कर के पुनरीक्षण होने पर ही ऐसी कार्यवाही हो सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

आदर सहित।

भवदीय,

(आर0के0 भाटियां)
महासचिव